Toppersnotes®
Unleash the topper in you

Rajasthan – CET

Graduate Level

Common Eligibility Test (CET)

Volume - 4

General Hindi & English

SIERRA INNOVATIONS

INDEX

S No.	Chapter Title	Page No.
1	राजभाषा हिन्दी – संवैधानिक विकास	1
2	संज्ञा	8
3	सर्वनाम	10
4	विशेषण	12
5	क्रिया	15
6	क्रिया विशेषण	18
7	कारक	20
8	विराम चिन्ह	23
9	अव्यय एवं अविकारी शब्द	26
10	संधि	30
11	समास	42
12	उपसर्ग	52
13	प्रत्यय	56
14	वर्तनी शुद्धि	61
15	वाक्य शुद्धि	66
16	विलोम शब्द	70
17	पर्यायवाची शब्द	76
18	वाक्य के एक शब्द	81
19	अनेकार्थी शब्द	89
20	मुहावरे	93
21	लोकोक्तियाँ	101
22	पत्र लेखन	108
23	पारिभाषिक शब्दावली	125

INDEX

S No.	Chapter Title	Page No.
24	Articles	137
25	Tense	142
26	Voices	147
27	Narration	153
28	Preposition	158
29	Important Synonyms and Antonyms	168
30	Idioms and Phrase	173
31	One Word Substitution	178
32	Letter Writing (पत्र लेखन)	182
33	Reading Comprehension	193

1 CHAPTER राजभाषा हिन्दी - संवैधानिक विकास एवं प्रावधान

भाषा के रूप

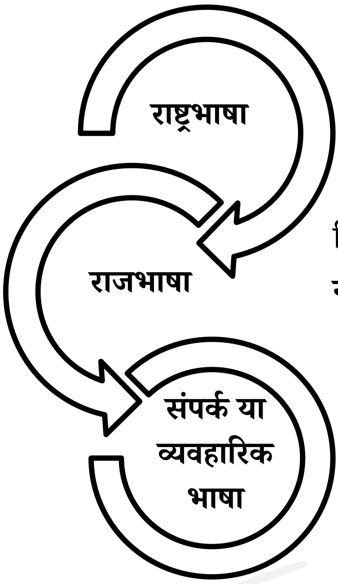

किसी भी राष्ट्र की अपनी एक विशिष्ट भाषा राष्ट्र भाषा कहलाती हैं। अथवा किसी भी राष्ट्र के अधिसंख्य लोगों के द्वारा स्वीकृत भाषा राष्ट्र भाषा कहलाती हैं।

किसी भी राष्ट्र के अथवा राज्य के राजकाज की भाषा राजभाषा कहलाती हैं।

नोट : भारत के संविधान की अष्टम अनुसूची मे दर्ज सभी 22 भाषाएँ भारत वर्ष की राजभाषाएँ हैं ।

किसी भी राष्ट्र के लोगों के द्वारा अपने विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए प्रयुक्त भाषा सम्पर्क या व्यावहारिक भाषा कहलाती हैं।

- जिस भाषा में शासन का कामकाज सम्पादित होता है, उसे **राजभाषा** कहते हैं। अशोक के समय में **पालि राजभाषा** थी।
- राजस्थान में **ग्यारहवीं से पन्द्रहवीं शताब्दी** के मध्य पुरावलेखों से पता चलता है कि उस समय **हिन्दी मिश्रित संस्कृत राजभाषा** थी।
- **मुहम्मद गोरी से लेकर अकबर** तक **हिन्दी राजभाषा** थी। **अकबर** के शासनकाल में **मन्त्री टोडरमल** के आदेश से **फ़ारसी राजभाषा** घोषित की गई।
- **ईस्ट इण्डिया कम्पनी** ने **1833 ई.** तक **फ़ारसी को राजभाषा** बनाए रखा।
- ब्रिटिश शासन में **लॉर्ड मैकॉले** के प्रयास से **अंग्रेज़ी राजभाषा** के पद पर सुशोभित हुई।
- राष्ट्रीय चेतना के विकास के साथ ही **हिन्दी** को **राजभाषा और राष्ट्रभाषा** बनाने की जोरदार माँग उठी।
- पं. मदनमोहन मालवीय के सतत प्रयत्नों से वर्ष 1901 में संयुक्त प्रान्त की कचहरी की भाषा के रूप में हिन्दी को उर्दू के समान अधिकार मिला।
- मारतवर्ष के लिए हिन्दी भाषा का नाम सबसे पहले पं. मदनमोहन मालवीय ने सुझाया।

भारत में हिन्दी भाषा की स्थिति

- भारत में हिन्दी भाषा उपर्युक्त तीनों पदों पर प्रतिष्ठित भाषा मानी जाती हैं।
- हिन्दी भाषा भारत की अपनी एक विशिष्ट भाषा है, जिसके कारण व्यावहारिक तौर पर हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा कहलाती हैं।

- हमारे संविधान में हिन्दी के लिए राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया हैं।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिन्दी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया हैं।
- भारत के अधिकतर लोग अपने विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए हिन्दी भाषा का प्रयोग करते हैं, अतः हिन्दी भारत की सम्पर्क या व्यावहारिक भाषा भी मानी जाती हैं।

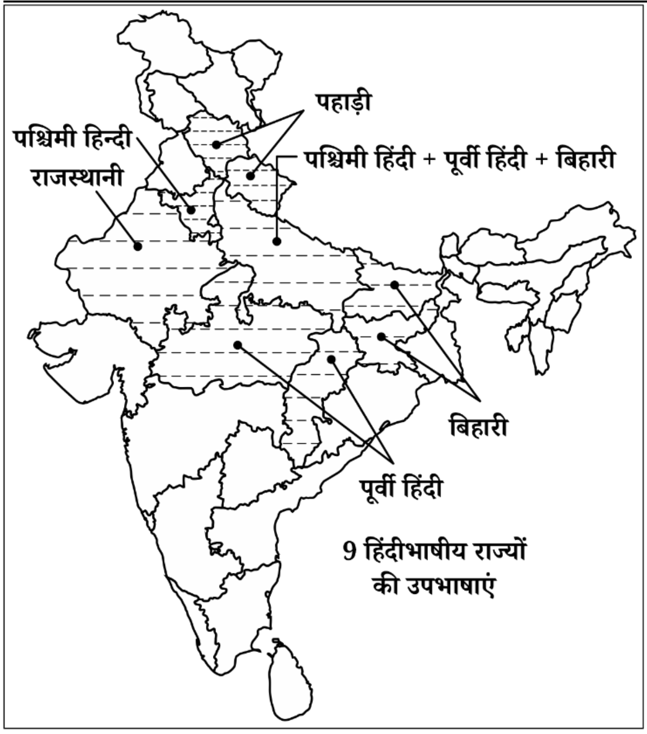

हिन्दी को भारत की राजभाषा बनाये जाने का संक्षिप्त इतिहास

भारतीय संविधान सभा के समकक्ष भारत की राजभाषा का प्रश्न आने पर 14 सितम्बर, 1949 ई. को संविधान सभा के सदस्य श्री गोपाल स्वामी आयंगर के द्वारा हिन्दी को भारत की राजभाषा बनाये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं उसी दिन संविधान सभा ने अपने पूर्ण बहुमत से (298/ 312), इस प्रस्ताव को पारित कर दिया एवं इसी दिन हिन्दी भाषा को, भारत की राजभाषा घोषित कर दिया गया।

हिन्दी दिवस

14 सितम्बर, 1949 ई. को हिन्दी भाषा को भारत की राजभाषा घोषित किये जाने के कारण इस दिन को हिन्दी भाषा के लिए विशेष महत्व मानते हुए राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा के प्रस्ताव पर भारत सरकार के द्वारा 1953 ई. में 14 सितम्बर के दिवस को हिन्दी दिवस के रूप में मनाये जाने की घोषणा कर दी गयी एवं पहला हिन्दी दिवस 14 सितम्बर, 1953 ई. को मनाया गया।

यह भी जाने ?

वर्तमान में जो हिन्दी शिक्षा, संचार, प्रशासन आदि में प्रयुक्त हो रही है, उसका मूल आधार खड़ी बोली है, जो पश्चिमी हिन्दी की एक बोली है तथा दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर की बोली है। यह शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है।

राजभाषा हिन्दी: संवैधानिक प्रावधान

- भारत के संविधान के 5वें, 6वें तथा 17वें, इन तीन भागों में राजभाषा सम्बन्धी प्रावधान है।
  - ✓ इनमें **भाग-5** के **अनुच्छेद 120** में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध मे निर्देश हैं ।
  - ✓ **भाग-6** के **अनुच्छेद 210** में 'राज्य के विधान मण्डलों में प्रयुक्त होनेवाली भाषा के सम्बन्ध में निर्देश है।
  - ✓ **17वें भाग** के **चार अध्यायों** में राजभाषा सम्बन्धी उपबंध प्रस्तुत किए गए हैं।

17 वें भाग 4 अध्याय

इनमें **प्रथम अध्याय** में संघ की राजभाषा के रूप में 343 और 344 अनुच्छेद हैं।

द्वितीय अध्याय में 345, 346, 347 अनुच्छेदों में राजभाषा के रूप में प्रान्तीय भाषाओं के प्रयोग के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं।

तृतीय अध्याय के अनुच्छेद 348, 349 में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा के सम्बन्ध में निर्देश किया गया है।

चौथे अध्याय के अनुच्छेद 350 में अन्याय निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयुक्त भाषा का निर्देश है जबकि 351 में हिन्दी भाषा के विकास के सम्बन्ध में विशेष निर्देश दिए गए हैं।

प्रमुख प्रावधान		
अनुच्छेद	**परिभाषा**	**विवरण**
अनुच्छेद 343	संघ की राजभाषा	➢ संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा।

अनुच्छेद 344	राजभाषा के संबंध मे आयोग और संसद की समिति	➢ राजभाषा समिति एवं राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान। ➢ इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नयी लोकसभा के गठन के बाद एक राजभाषा समिति का गठन होगा ➢ जिसमें निम्नानुसार 30 सदस्य शामिल किये जायेंगे - ✓ लोकसभा 20 ✓ राज्यसभा 10 ➢ इस अनु. के तहत भारत में अब तक केवल एक राजभाषा आयोग का गठन किया गया हैं। ✓ गठन - 07 जून, 1955 - अध्यक्ष श्री बालगंगाधर खैर (बी. जी. खैर) ✓ 1957 समिति अध्यक्ष - नी. बी. पंत ✓ विभिन्न राज्यों में इसके 20 सदस्य मनोनीत किये गये व आयोग ने अपनी 19 सिफारिशें प्रस्तुत की।
अनुच्छेद 345	राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ	➢ राज्यों की राजभाषाओं का प्रावधान। ➢ इस अनु. में भारत के विविध राज्यों की राजभाषाओं का उल्लेख किया गया हैं। ➢ भारत के समस्त राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों को तीन श्रेणियों में बाँटा गया हैं **1. क श्रेणी** ✓ हिन्दी को राजभाषा स्वीकार करने वाले राज्य, केन्द्र शासित प्रदेश। ✓ इस श्रेणी में निम्न 10 राज्य शामिल किये गये है - राजस्थान, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश,दिल्ली **2. ख श्रेणी** ✓ हिन्दी को सहराजभाषा स्वीकार करने वाले राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश। ✓ इस श्रेणी में निम्न चार राज्य शामिल किये गये हैं - पंजाब, चण्डीगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र **3. ग श्रेणी** ✓ अपनी स्थानीय भाषाओं को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले राज्य (केन्द्र शासित प्रदेश) ✓ इस श्रेणी में शेष सभी 22 राज्य शामिल किये गये हैं।
भाग 17, अनुच्छेद 346	एक राज्य और दूसरे राज्य के मध्य या किसी संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा	➢ भारत सरकार किसी राज्य के साथ अथवा एक राज्य अन्य राज्य के साथ पत्राचार करते समय किस भाषा का प्रयोग करेगा, इसका उल्लेख इस अनुच्छेद में लिखा हैं। ➢ भारत के सभी राज्यों को निम्नानुसार तीन श्रेणियों में बाँटा गया हैं - ✓ **श्रेणी क :** केवल हिन्दी में पत्राचार (10 राज्य 1 न. के) ✓ **श्रेणी ख :** हिन्दी, अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग (4 राज्य) चण्डीगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात। ✓ **श्रेणी ग :** केवल अंग्रेजी में पत्राचार (22 राज्य)
भाग 17, अनुच्छेद 347	किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध मे विशेष उपबंध	➢ भारत के किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा उनकी भाषा को मान्यता प्रदान करने की माँग करने पर भारत सरकार इस अनु. के तहत उस भाषा को मान्यता प्रदान करती हैं। ➢ इस अनु. के तहत मान्यता प्राप्त भाषाओं को **आठवीं अनुसूची** में स्थान दिया जाता हैं। ➢ आठवीं **अनुसूची** में अब तक निम्नानुसार 22 भाषाएँ शामिल की जा चुकी हैं। ✓ **संविधान लागू होने के समय शामिल भाषाएँ** -कश्मीरी, पंजाबी,गुजराती, मराठी,कन्नड़,मलयालम, तमिल, तेलगू, ओडिया,बांग्ला,असमिया,उर्दू,संस्कृत, 14. हिन्दी ✓ **21 वाँ संविधान संशोधन 1967** - सिंधी

		✓ 71 वाँ संविधान संशोधन 1992 - मणिपुरी, कोंकणी, नेपाल ✓ 92 वाँ संविधान संशोधन 2003 - बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली
भाग 17, अनुच्छेद 348	उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा	➢ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायलयों मे और अधिनियमोंम विधेयकों आदि के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा ➢ इस अनु. के अनुसार भारतीय संसद / विधान मण्डलों द्वारा बनाये गये अधिनियमों / अध्यादेशों / उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों में हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जायेगा। विरोधाभाव की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद मान्य होगा।
भाग 17 अनुच्छेद 349	भाषा से संबंधित कुछ विधियान अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया ।	
भाग 17 अनुच्छेद 350	भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान	
भाग 17 अनुच्छेद 351	हिन्दी भाषा के विकास के लिए आवश्यक दिशा निर्देश	

राजभाषा हिन्दी सम्बन्धी विभिन्न समितियाँ:

हिन्दी के विकास और प्रसार तथा सरकारी कामकाज मे हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के सम्बन्ध मे विभिन्न समितियाँ गठित हैं ।

1. केन्द्रीय हिन्दी समिति

- ✓ केन्द्रीय हिन्दी समिति की स्थापना संविधान, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों एवं अनुदेशों के आधार पर की गई है। यह समिति भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा हिन्दी के प्रचार-प्रसार तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों एवं कार्यों का समन्वय करती है।
- ✓ यह समिति राजभाषा नीति सम्बन्धी दिशा-निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति है। समिति द्वारा लिये गये निर्णय, भारत सरकार के निर्णय माने जाते हैं
- ✓ **अध्यक्षता -** प्रधानमंत्री जी समिति के **अध्यक्ष** ।
- ✓ **सदस्य**
  - प्रधानमंत्री
  - कुछ प्रमुख केन्द्रीय मंत्री
  - कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री
  - संसद सदस्य
  - हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के विशिष्ट विद्वान
  - राजभाषा विभाग के सचिव एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार (सदस्य सचिव)
- ✓ **कार्यप्रणाली**
  - समिति की समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं ।
  - इन बैठकों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार तथा प्रयोग सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं।

2. हिन्दी सलाहकार समितियाँ

- ✓ केन्द्रीय हिन्दी समिति की स्थापना संविधान, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों और अनुदेशों के आधार पर की गई है।
- ✓ **उद्देश्य :** इस समिति का मुख्य उद्देश्य हिन्दी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना, सरकारी कामकाज में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करना तथा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों और कार्यों का समन्वय करना है।
- ✓ यह समिति राजभाषा नीति सम्बन्धी दिशा-निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति है।
- ✓ **अध्यक्षता :** प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष।
- ✓ **सदस्य**
  - प्रधानमंत्री
  - कुछ प्रमुख केन्द्रीय मंत्री
  - कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री
  - संसद सदस्य
  - हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के विद्वान
  - राजभाषा विभाग के सचिव एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार (सदस्य सचिव)

3. **संसदीय राजभाषा समिति**

- ✓ राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है।
- ✓ इस समिति में 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं।
- ✓ इन सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है।
- ✓ समिति में 10-10 सदस्यों वाली 3 उपसमितियाँ बनाई गई हैं और प्रत्येक उपसमिति का एक समन्वयक होता है।
- ✓ यह समिति केन्द्र सरकार के अधीन आने वाले तथा सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी संस्थानों का समय-समय पर निरीक्षण करती है और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।
- ✓ राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाते हैं और साथ ही राज्य सरकारों को भी भेजते हैं।
- ✓ राजभाषा के क्षेत्र में यह समिति सर्वोच्च अधिकार प्राप्त समिति मानी जाती है।

4. **केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति**

- ✓ राजभाषा विभाग के सचिव तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार की अध्यक्षता में सभी मंत्रालयों/विभागों की कार्यान्वयन समितियों में समन्वय का कार्य यह समिति करती है।
- ✓ विभिन्न समितियों के अध्यक्ष (संयुक्त सचिव पद के समान) तथा मंत्रालयों में राजभाषा का कार्य सम्पादन करने वाले निदेशक तथा उपसचिव इसके सदस्य होते हैं।
- ✓ यह समिति यथासंशोधित राजभाषा अधिनियमों के उपबंधों तथा सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का पुनरीक्षण करती है और उनके अनुपालन में आयी कठिनाइयों के निराकरण के उपायों पर विचार करती है।

संविधान की आठवीं अनुसूची मे सम्मिलित भाषाएँ :

क्रमांक	भाषा	प्रमुख क्षेत्र / राज्य
1	असमिया	असम
2	उड़िया (ओड़िया)	ओडिशा
3	उर्दू	जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि
4	कन्नड़	कर्नाटक
5	कश्मीरी	जम्मू-कश्मीर
6	गुजराती	गुजरात
7	तमिल	तमिलनाडु
8	तेलुगु	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
9	पंजाबी	पंजाब
10	बांग्ला	पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा
11	मराठी	महाराष्ट्र
12	मलयालम	केरल
13	संस्कृत	सम्पूर्ण भारत (धार्मिक व शास्त्रीय भाषा)
14	सिंधी	सम्पूर्ण भारत (मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र)
15	हिन्दी	उत्तर भारत के अधिकांश राज्य
16	मणिपुरी (मैतेयी)	मणिपुर
17	नेपाली	सिक्किम, उत्तर बंगाल (दार्जिलिंग), असम
18	कोंकणी	गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र
19	संथाली	झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार
20	बोडो	असम (विशेषकर बोडोलैंड क्षेत्र)
21	डोगरी	जम्मू क्षेत्र
22	मैथिली	बिहार, झारखंड

भारत में शास्त्रीय भाषा की स्थिति के मानदंड और निहितार्थ

- ➢ 2004 में, भारत सरकार ने "शास्त्रीय भाषाएँ" नामक भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया। 2006 में, इसने शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के मानदंड निर्धारित किए।
- ➢ **मानदंड:**
  - ✓ इसके प्रारंभिक ग्रंथों/अभिलिखित इतिहास की प्राचीनता 1,500-2,000 वर्षों की अवधि की है।
  - ✓ प्राचीन साहित्य/ग्रंथों का संग्रह जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है।
  - ✓ साहित्यिक परंपरा जो मौलिक हो और किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार न ली गई हो।

➢ शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा से भिन्न होने के कारण, शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों या उसकी शाखाओं के बीच एक असातत्य भी हो सकता है।

➢ **लाभः** वित्तीय सहायता; प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए दो प्रमुख पुरस्कार; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया जा सकता है कि वह (कम से कम केंद्रीय विश्वविद्यालय में) भाषा के प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए एक निश्चित संख्या में व्यावसायिक पीठों का सृजन करे।

➢ **शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त भाषाएँ**

1. तमिल (2004)
2. संस्कृत (2005)
3. तेलुगु (2008)
4. कन्नड़ (2008)
5. मलयालम (2013)
6. ओडिया (2014)

उपभाषा :

➢ एक से अधिक बोलियाँ मिलकर उपभाषाओं का निर्माण करती हैं ।

➢ भारत की हिन्दी भाषा से सम्बन्धित 18 बोलियों को 5 उपभाषाओं में वर्गीकृत किया गया है ।

उपभाषा	बोलियाँ	मुख्य क्षेत्र
राजस्थानी	मारवाड़ी (पश्चिमी राजस्थानी), जयपुरी/ढूँढाड़ी (पूर्वी राजस्थानी), मेवाती (उत्तरी राजस्थानी), मालवी (दक्षिण राजस्थानी)	राजस्थान
पश्चिमी हिन्दी	कौरवी (खड़ी बोली), बाँगरू (हरियाणवी), ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी	हरियाणा, उत्तर प्रदेश
पूर्वी हिन्दी	अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
बिहारी	भोजपुरी, मगही, मैथिली	बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश
पहाड़ी	कुमाऊँनी, गढ़वाली, (मध्य/पश्चिम पहाड़ी)	उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश

देवनागरी लिपि

➢ भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 (1) में लिखा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इस प्रकार **देवनागरी भारत की राजलिपि** है।

➢ **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**

✓ देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी (500 ई.पु.) भारत की प्राचीन लिपि थी जो 7-8वीं शताब्दी तक प्रयोग में रही।

✓ सम्राट् अशोक (272-232 ई.पू.) के समय में यह राष्ट्रीय लिपि थी।

✓ अशोक ने अपनी राजाज्ञा अधिकांशतः ब्राह्मी लिपि में खुदवाई। ब्राह्मी के प्राचीनतम लेख पांचवी सदी ई.पू. के मिले हैं।

✓ देवनागरी के प्राचीनतम लेख सातवीं सदी के मिलते हैं।

➢ **देवनागरी वर्णमाला**

✓ क, ख, ग आदि अक्षर देवनागरी के हैं। इनकी संख्या 52 है। इसमें कुल 52 वर्ण है जिसमें से स्वर वर्ण 11 हैं तथा शेष 41 वर्ण व्यजन है। यथा-

- स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ = 11
- अनुस्वार - अं = 1
- विसर्ग - अ: = 1
- **व्यंजन**

1. क, ख, ग, घ, ङ - कंठ्य
2. च, छ, ज, झ, ञ - तालव्य
3. ट, ठ, ड, ढ,ण - मूर्धन्य
4. त, थ, द, ध, न - दंत्य
5. प, फ, ब, भ, म - ओष्ठ्य
6. य, र, ल, व - अंतस्थ - 4
7. श, ष, स, ह - ऊष्म - 4
8. क्ष, त्र, ज्ञ - संयुक्त व्यजन-4

➢ क्ष, त्र, ज्ञ, श्र - सयुक्त व्यजन-4
➢ ड़, द - उत्क्षिप्त अथवा द्विगुण व्यंजन
सरकारी वर्णमाला में ड़. द. श्र को स्थान नहीं दिया गया है. अतः वहाँ कुल वर्णों की सख्या 52-3 = 49 ही मानी गयी है । देवनागरी वर्णमाला (सरकारी स्तर) में 11 स्वर हैं। देवनागरी वर्णमाला से 38 व्यंजन है।देवनागरी वर्णमाला में स्वर और व्यजन मिलाकर कुल 49 वर्ण है। 'श्र को सरकारी देवनागरी में स्थान प्राप्त नहीं है।

- देवनागरी के अंक हैं-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 नेपाल में इन्हें राष्ट्रीय अंक माना गया है किन्तु भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय अंकों को ही मान्यता है जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 के रूप में लिखे जाते हैं।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- हिंदी भाषा समुदाय में सम्मिलित सभी 20 बोलियाँ देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं।
- भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में मराठी, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, नैपाली, कोंकणी, बोडो, कश्मीरी और डोगरी की लिपि देवनागरी ही है।
- अब तो उर्दू भी देवनागरी लिपि में लिखी जाने लगी है जो भारत में उर्दू की अपनी फारसी लिपि की तुलना में ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है।
- नेपाल की राष्ट्रभाषा नेपाली की लिपि भी देवनागरी ही है।
- इसके अतिरिक्त गुजराती, गुरुमुखी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, मैथिली, शारदा, लंडा भी देवनागरी से बिल्कुल मिलती-जुलती है।

Toppersnotes Unleash the topper in you

2 CHAPTER संज्ञा

➢ वे विकारी शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम का बोध करते हों संज्ञा कहलाते हैं।

➢ संज्ञा शब्द दो शब्दों **सम् + ज्ञा** से मिलकर बना है अर्थात् वह प्रत्येक वस्तु (सजीव या निर्जीव) जिसका कोई नाम है वह संज्ञा है।

संज्ञा के प्रकार

➢ संज्ञा के मूलत: 3 भेद /प्रकार हैं। जो व्युत्पत्ति के आधार पर हैं। परन्तु दो अन्य भेद अर्थ के आधार पर भी माने गए है।

व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार

1. **व्यक्तिवाचक संज्ञा :** जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध हो, उन्हें'**व्यक्तिवाचक संज्ञा'** कहते हैं।

   उदाहरण : अभिषेक, जयपुर, रमा, रहीम , अरावली ,समुद्रगुप्त, गंगा, कामायनी, सुशील आदि।

2. **जातिवाचक संज्ञा :** जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की सम्पूर्ण जाति, वर्ग अथवा समुदाय का बोध हो, उन्हें'**जातिवाचक संज्ञा'** कहते हैं। इसमे मुख्यत: समूहवाचक शब्द आते हैं ।

   उदाहरण : पुरुष, शहर, पशु, मुनष्य, सेना, पर्वत, सभा, गाय, डॉक्टर , नगर , बालक, लडकी, आदमी, दोस्त, पुस्तक , पहाड़ , लड़का, जुलाहा, मंत्री, बहन, लेखक आदि।

3. **भाववाचक संज्ञा :** जिन संज्ञा शब्दों सें प्राणियों और वस्तुओं के गुण-दोष, धर्म, अवस्था, भाव और व्यापार आदि का बोध हो, उन्हें **'भाववाचक संज्ञा'** कहते है।

   उदाहरण : अच्छाई, मिठास, गर्मी, बुढ़ापा, सुन्दरता, नारीत्व, चतुरता, बचपन, दाम, क्रोध, गर्व, दौड़, अनुशासन इत्यादि ।

भाववाचक संज्ञा का निर्माण

➢ भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से किया जा सकता है।

1. **जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा**
   - (i) **'ता' प्रत्यय:** मानव-मानवता, मित्र-मित्रता, प्रभु-प्रभुता, पशु-पशुता।
   - (ii) **त्व प्रत्यय :** पशु-पशुत्व, मनुष्य-मनुष्यत्व, कवि-कवित्व, गुरु-गुरुत्व।
   - (iii) **पन :** लड़का-लड़कपन, बच्चा-बचपन ।
   - (iv) **अ :** शिशु-शैशव, गुरु-गौरव, विभु-वैभव।
   - (v) **इ :** भक्त-भक्ति ।
   - (vi) **ई :** नौकर-नौकरी, चोर-चोरी।
   - (vii) **आपा :** बूढ़ा-बुढ़ापा, बहन-बहनापा।
2. **सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा :**
   - (i) **त्व : अपना -** अपनत्व, निज निजत्व, स्व-स्वत्व ।
   - (ii) **पन : अपना -** अपनापन, पराया-परायापन ।
   - (iii) **कार : अहं -** अहंकार।
   - (iv) **स्व: सर्व -** सर्वस्व ।
3. **विशेषण से भाववाचक संज्ञा :**
   - (i) **आई :** साफ-सफाई, अच्छा अच्छाई, बुरा-बुराई।
   - (ii) **आस :** खट्टा-खटास, मीठा-मिठास ।
   - (iii) **ता :** उदार-उदारता, वीर वीरता, सरल-सरलता ।
   - (iv) **य :** मधुर -माधुर्य, सुन्दर-सौन्दर्य, स्वस्थ-स्वास्थ्
   - (v) **पन :** खट्टा- खट्टापन, पीला-पीलापन।
   - (vi) **त्व :** वीर -वीरत्व।
   - (vii) **ई :** लाल लाली।

4. **क्रिया से भाव-वाचक संज्ञा :**
   - (i) **अ**: खेलना-खेल, लूटना लूट, जीतना-जीत।
   - (ii) **ई:** हँसना-हँसी।
   - (iii) **आई:** चढ़ना चढ़ाई, पढ़ना-पढ़ाई, लिखना-लिखाई।
   - (iv) **आवट:** आवट-बनाना-बनावट, थकना-थकावट, लिखना-लिखावट।
   - (v) **आव :** चुनना-चुनाव।
   - (vi) **आहट:** घबराना-घबराहट, गुनगुनाना-गुनगुनाहट ।
   - (vii) **उडना** : उड़ान।
   - (viii) **न** : लेना-देना लेन-देन, खाना-खान।
5. **अव्यय से भाववाचक संज्ञा**
   - (i) **ई :** भीतर-भीतरी, ऊपर, ऊपरी दूर-दूरी।
   - (ii) **य :** समीप सामीप्य ।
   - (iii) **इक :** परस्पर -पारस्परिक, व्यवहार - व्यावहारिक ।
   - (iv) **ता :** निकट निकटता, शीघ्र शीघ्रता।

अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार

1. **समूहवाचक संज्ञा :** जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे **समूहवाचक संज्ञा** कहते हैं। जैसे – सभा, परिवार, कक्षा, दल, गिरोह, संघ, गुच्छा, पुंज, ढेर।
2. **द्रव्य वाचक संज्ञा:** जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप – तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते उन्हें द्रव्य वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे – दूध, पानी, पेट्रोल, सोना, लोहा, कोयला, लकड़ी, कागज, चीनी, आटा, घास।

क्या आप जानते हैं?

- जब कभी द्रव्यमान संज्ञा शब्द बहुवचन के रूप में द्रव्य के प्रकारों का बोध कराता है।, तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे - यह फर्नीचर कई प्रकार के लकड़ियों से बना है।
- जब समूहवाचक संज्ञा बहुत सी समूह ईकाइयों को प्रकट करता है, तब बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे दोनों सेनाएँ आपस में जमकर लड़ी।
- जब कभी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते है, तब वे जातिवाचक संज्ञा बन जाते है। जैसे बुराईयों से बचकर रहो।
- कुछ भाववाचक शब्द मूल शब्द है। जैसे प्रेम, घृणा, क्रोध आदि।
- अधिकांश भाववाचक शब्द यौगिक होते है -गरीब-गरीबी। लड़का-लड़कपन
- भावचावक संज्ञाएँ जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय और क्रिया शब्दों के अंत में त्व, ता, वन, पा, आस, आई, वट, हट इत्यादि प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। जैसे मित्र-मित्रता, अपना-अपनत्व, लम्बा-लम्बाई आदि।

Toppersnotes Unleash the topper in you

3 CHAPTER

सर्वनाम

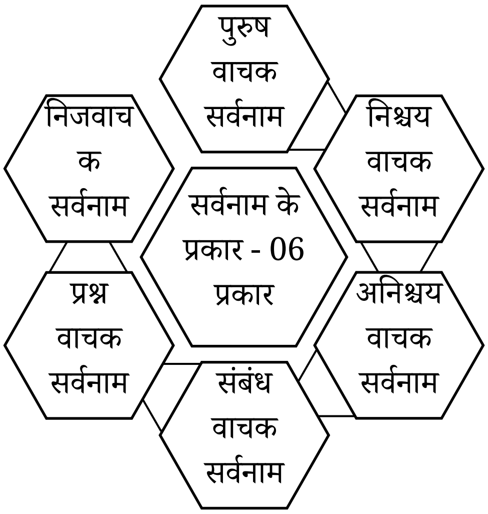

- संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं।
- भाषा में सौन्दर्य, संक्षिप्तता, सरलता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने व दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है।
- सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है 'सब का नाम'। इससे वाक्य सहज एवं सरल हो जाता है।

1. पुरुष वाचक सर्वनाम – जिन शब्दों का प्रयोग कहने वाले (वक्ता), सुनने वाले (श्रोता) व अन्य जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं।

पुरुष वाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं :

पुरुष वाचक सर्वनाम

उत्तम पुरुष	**मध्यम पुरुष**	**अन्य पुरुष**
वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए करता है।	वे सर्वनाम शब्द जो श्रोता को संबोधित करने में प्रयोग किये जाए ये सर्वनाम शब्द सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं।	बोलने व सुनने वाले व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य के बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होनेवाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं।
मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें आदि।	तू, तुम, तुझे तुम्हें तेरा, आप, आपका, आपको आदि।	वह, वे, उन्हें, उसे, इसे, उसका इसका आदि।

2. निश्चयवाचक सर्वनाम – जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।

✓ इसके मुख्य दो प्रयोग हैं :

I. **निकट की वस्तुओं के लिए -** यह, ये।

II. **दूर की वस्तुओं के लिए** - वह, वे।

3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम – जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती तथा अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है, उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं।

जैसे - कुछ, कोई।

✓ **'कोई'** सर्वनाम का प्रयोग प्रायः प्राणी वाचक सर्वनाम के लिए होता है, जैसे - कोई उसे बुला रहा है।

✓ **'कुछ'** सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, जैसे - पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है।

4. संबंधवाचक सर्वनाम – दो उप वाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उप वाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उप वाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है, अर्थात् दो पृथक – पृथक बातों के मध्य सम्बन्ध व्यक्त करने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है जैसे - जो, जिसे, जिसका, जिसको।

उदाहरणार्थ – जो सोएगा, सो खोएगा।
जिसकी लाठी उसकी भैंस।
जो सत्य बोलता है, वह नहीं डरता।

5. **प्रश्नवाचक सर्वनाम** – ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।

जैसे- क्या, किससे, कौन।

उदाहरणार्थ – वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है?
कल तुम किससे बात कर रहे थे?
आज तुम्हें क्या चाहिए?

6. **निज वाचक सर्वनाम** – ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक (स्वयं) अपने लिए करते हैं, निज वाचक कहलाते हैं।

जैसे - आप, अपना, स्वयं, खुद आदि।

उदाहरणार्थ – मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ।
आप अपने घर कब जा रहे हैं?
मैं अपना खाना बना रहा हूँ।

सर्वनाम शब्दों के प्रयोग सम्बन्धी निर्देश

- सर्वनामों का रूप परिवर्तन पुरुष, वचन तथा कारक के अनुसार ही होता है, लिंग भेद के आधार पर नहीं।
- उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष बहुवचन रूप वाले सर्वनाम एक व्यक्ति के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे - मैं आऊँगा अर्थात् हम आएंगे। तू जाएगा अर्थात् तुम जाओगे।
- अन्य पुरुष वाचक बहुवचन रूप का आदर सूचक होने के कारण एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे - गाँधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वे कई साल दिल्ली में रहे। या आप कई साल दिल्ली में रहे।
- संज्ञा में विभक्ति उसके साथ नहीं जुड़ती, जबकि सर्वनामों में विभक्तियाँ उन्हीं के साथ जुड़ी रहती हैं, जैसे - उसने, उसको, जिसका, इत्यादि । जैसे –
  - ✓ संज्ञा - राधा ने
  - ✓ सर्वनाम - उसने
- अभिमान व्यक्त करने या अधिकार व्यक्त करने के लिए भी 'मैं' के स्थान पर 'हम' अथवा 'हमारा' का प्रयोग किया जाता है, जैसे-
  - ✓ 'हम' कभी भी किसी से हारे नहीं। (अभिमान)
  - ✓ हमारा यह काम तुम्हें जरूर करना है। (अधिकार)
- अनिश्चय वाचक सर्वनाम 'कुछ' (एकवचन) संख्या एवं परिणाम दोनों का बोध कराते हैं, जैसे-
  - ✓ आपके यहाँ लहसुन होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भेज दिया कीजिए। (परिणाम वाचक)
  - ✓ आपके घर इतने अतिथि आए हैं, कुछ को हमारे यहाँ भेज दीजिए। (संख्यावाचक)
- प्रश्नवाचक सर्वनाम 'कौन' का प्रयोग मनुष्यों तथा क्या का प्रयोग कीट-पतंगों, पशुओं और जड़ पदार्थों के लिए होता है, जैसे - अन्दर कौन बैठा है? इस डिब्बे में क्या है?
- **'कुछ'** और **'कोई'** का बहुवचन रूप कुछ और किन्हीं होता है। निर्जीव वस्तुओं और कीड़े-मकोड़ों के लिए **'कुछ'** का प्रयोग होता है। सजीव वस्तुओं के लिए **'कोई'** और **'किन्हीं'** शब्दों का प्रयोग होता है।
- प्रायः सभी सर्वनाम रूपों के साथ 'ही' अव्यय जोड़ा जा सकता है।

सर्वनाम पदबंध

- जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम पदों का कार्य करते है,उन्हे सर्वनाम पदबंध कहते है।

  जैसे -
  - ✓ **चोट खाए तुम** भला क्या खेलेगो।
  - ✓ **मेरे रिश्तेदार में से** कोई समय पर नहीं पहुँचा।

4 CHAPTER विशेषण

- वे शब्द, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें **विशेषण** कहते हैं।
- अत: विशेषता बताने वाले शब्दों को **'विशेषण'** कहा जाता है तथा विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे **'विशेष्य'** कहते हैं।

विशेषण के कार्य

विशेषण के निम्नलिखित प्रमुख कार्य है -

- **विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम के गुण-दोष को बतलाता है। जैसे -**
  - ✓ राधा पढ़ने में तेज है। (गुण का बोध)
  - ✓ लेकिन, वह डरपोक है। (दोष का बोध)
- **यह संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या या परिमाण बतलाता है। जैसे -**
  - ✓ दो लड़कें आये थे। (निश्चित संख्या का बोध)
  - ✓ दो लिटर दूध दो। (निश्चित परिमाण का बोध)
- **यह संज्ञा और सर्वनाम की अनिश्चित संख्या या परिमाण बतलाता है। जैसे -**
  - ✓ कुछ लड़कियाँ आयी हैं। (अनिश्चित संख्या का बोध)
  - ✓ अधिक भोजन मत करो। (अनिश्चित परिमाण का बोध)
- **यह संज्ञा और सर्वनाम के क्षेत्र को सीमित करता है। जैसे -**
  - ✓ लाल रूमाल लाओ। (सिर्फ लाल - काला, पीला नहीं)
  - ✓ उस कुत्ते को खिलाओ। (किसी खास कुत्ते को, दूसरे को नहीं)
- **यह संज्ञा और सर्वनाम की दशा, अवस्था आदि बतलाता है। जैसे-**
  - ✓ तुम बीमार हो। (दशा का बोध)
  - ✓ मैं जवान हूँ। (अवस्था का बोध)

विशेषण के प्रकार

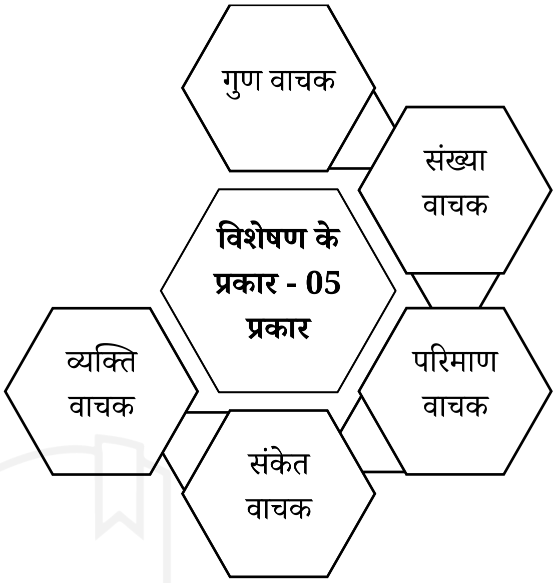

नोट : विशेषण के प्रकारों में विद्वानों में मतभेद रहता हैं, कुछ जगह विशेषण के पाँच प्रकार बताएँ गए हैं और कुछ जगह पर 04 प्रकार बताएँ गए हैं । **एनसीईआरटी के** आधार पर विशेषण के 04 प्रकार होते हैं – गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक विशेषण । **राजस्थान शिक्षा बोर्ड** की पुस्तकों में विशेषण के 05 प्रकार बताएं गए हैं ।

1. **गुणवाचक विशेषण :** किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं।
   जैसे- काला, पुराना, भला, छोटा, मीठा, देशी, पापी, धार्मिक आदि।
2. **संख्यावाचक विशेषण** : किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित, अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।

संख्या वाचक विशेषण

निश्चित संख्या वाचक विशेषण

जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का बोध होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है।

गणनावाचक	क्रमवाचक	आवृत्तिवाचक	समुदाय वाचक
एक, दो, तीन	पहला, दूसरा	दुगुना, चौगुना	दोनों, तीनों, चारों

अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण

जिस विशेषण शब्द से अनिश्चित संख्या का बोध हो, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है।

कई, सब, कुछ, अनेक आदि।

3. **परिमाण वाचक विशेषण** : वे विशेषण, जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तौल आदि का बोध कराते है, उन्हें परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं।
   - ✓ **इसके दो उपभेद किए जा होते हैं**
     - **निश्चित परिमाण वाचक** – दो मीटर, पाँच किलो, सात लीटर।
     - **अनिश्चित परिमाण वाचक** – थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, अधिक, जरा-सा, सब आदि।
4. **संकेतवाचक विशेषण** : वे शब्द जो सर्वनाम हैं किन्तु विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।
   जैसे
   (i) इस गेंद को मत फेंको।
   (ii) उस पुस्तक को पढ़ो।
   (iii) वह कौन गा रही है?
   वाक्यों में 'इस', उस, वह आदि शब्द संकेतवाचक विशेषण हैं।
5. **व्यक्तिवाचक विशेषण :** वे शब्द, जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं।
   जैसे – जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिए। वाक्यों में जोधपुरी, बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण है।

विशेष : कतिपय विद्वान् एक और प्रकार – 'विभाग वाचक विशेषण' का भी उल्लेख करते हैं। जैसे- प्रत्येक हर एक आदि।

प्रविशेषण

- ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं ।
- प्रविशेषण सामान्यतः विशेषण के गुणों में वृद्धि लाता है।
  जैसे : थोड़ा, बहुत, अति, अत्यंत, अधिक, अत्यधिक, बड़ा, बेहद, महा, घोर, ठीक, बिल्कुल, लगभग आदि।

दूध मीठा है।	मीठा - संज्ञा की विशेषता = विशेषण
दूध थोड़ा मीठा है	थोड़ा - विशेषण की विशेषता = प्रविशेषण
वह पाँच बजे आएगा।	पाँच - संज्ञा की विशेषता = विशेषण
वह ठीक पाँच बजे आएगा।	ठीक - विशेषण की विशेषता = प्रविशेषण
स्पष्ट है कि उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त 'थोड़ा' एवं 'ठीक' शब्द प्रविशेषण हैं, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बतलाते हैं।	

विशेषण की रचना

- कुछ शब्द मूल रूप में विशेषण ही होते हैं किंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं, जैसे-

संज्ञा से विशेषण	**संज्ञा + प्रत्यय = विशेषण**	रंग + ईन = रंगीन राष्ट्र + ईय = राष्ट्रीय
सर्वनाम से विशेषण	**सर्वनाम + प्रत्यय = विशेषण**	मैं + एरा = मेरा तुम + हारा = तुम्हारा
क्रिया से विशेषण	**क्रिया + प्रत्यय = विशेषण**	वंदन + ईय = वंदनीय लूट + एरा = लुटेरा
अव्यय से विशेषण	**अव्यय + प्रत्यय = विशेषण**	बाहर + ई = बाहरी पीछे + ला = पिछला

विशेषण की अवस्थाएँ

- विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं। अवस्था के तीन प्रकार माने गये हैं-
  1. **मूलावस्था** – वह अवस्था जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है।
     जैसे- रहीम अच्छा लडका है।
  2. **उत्तरावस्था** – वह अवस्था जिसमें दो संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है।
     जैसे- अशोक रहीम से अच्छा है। या प्रशान्त अभिषेक से श्रेष्ठतर है।
  3. **उत्तमावस्था** – जिसमें दो से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना करके, एक को सबसे अच्छा या बुरा बतलाया जाता है वहाँ उत्तमावस्था होती है।
     जैसे - अकबर सबसे अच्छा है। रजिया कक्षामें श्रेष्ठत्तम छात्रा है।

अवस्था परिवर्तन:

- मूलावस्था के शब्दों में 'तर' तथा तम प्रत्यय लगा कर या शब्द के पूर्व से अधिक, या सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग कर क्रमश: उत्तरावस्था एवं उत्तमावस्था में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे –

मूलावस्था	उत्तरावस्था	उत्तमावस्था
उच्च	उच्चतर	उच्चतम
श्रेष्ठ	श्रेष्ठतर	श्रेष्ठतम
तीव्र	तीव्रतर	तीव्रतम
अच्छा	से अच्छा	सबसे अच्छा
ऊँचा	से अधिक ऊँचा	सबसे ऊँचा

विशेष्य - विशेषण और विधेय-विशेषण

- प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद है
  1. विशेष्य-विशेषण और
  2. विधेय-विशेषण
- **विशेष्य (संज्ञा/सर्वनाम)** के पहले आए विशेषण को **विशेष्य-विशेषण** तथा विशेष्य के बाद आए विशेषण को **विधेय-विशेषण** कहते हैं। जैसे-
  - ✓ वह लम्बा लड़का है। (लम्बा विशेष्य-विशेषण)
  - ✓ वह लड़का लम्बा है। (लम्बा विधेय-विशेषण)

  नोट - यहाँ दो बातें ध्यान देने योग्य हैं

1. **विशेषण के लिंग एवं वचन विशेष्य के लिंग एवं वचन के अनुसार होते हैं, चाहे विशेषण विशेष्य के पहले आए या बाद में। जैसे -**
   - ✓ वह अच्छा लड़का है। (अच्छा, लड़का - दोनों एकवचन, पुलिंग)
   - ✓ वह लड़का अच्छा है। (लड़का, अच्छा - दोनों एकवचन, पुलिंग)
   - ✓ वह अच्छी लड़की है। (अच्छी, लड़की - दोनों एकवचन, स्त्रीलिंग)
   - ✓ वे अच्छे लड़के हैं। (अच्छे, लड़के - दोनों बहुवचन, पुलिंग)

   स्पष्ट है कि विशेषण के लिंग एवं वचन, विशेष्य के लिंग एवं वचन के अनुसार आये हैं।
2. **अगर एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों, तो विशेषण के लिंग और वचन प्रथम विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार होंगे। जैसे -**
   - ✓ उजला कुरता, टोपी और जूते लाओ। (प्रथम विशेष्य कुरता - पुंलिंग, अतः - उजला)
   - ✓ उजली टोपी, कुरता और जूते लाओ। (प्रथम विशेष्य टोपी - स्त्रीलिंग, अतः - उजली)
   - ✓ उजले जूते, कुरता और टोपी लाओ। (प्रथम विशेष्य जूते - एकारांत पुंलिंग, अतः - उजले)

   स्पष्ट है कि यहाँ एक विशेषण के अनेक विशेष्य हैं, लेकिन विशेषण के लिंग एवं वचन प्रथम विशेष्य के लिंग एवं वचन के अनुसार ही आये हैं।

सरल वाक्यों में विशेषण के स्थान

- सरल वाक्यों में विशेषण प्रायः संज्ञा के पहले आता है। जैसे -
  - ✓ वह अच्छा लड़का है। (संज्ञा के पहले विशेषण)
  - ✓ वह अच्छी लड़की है। (संज्ञा के पहले विशेषण)
- सार्वनामिक विशेषण भी संज्ञा के पहले आता है। जैसे -
  - ✓ यह फूल देखो। (यह - विशेषण)
  - ✓ वह लड़का आया है (वह - विशेषण)
- सरल वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम के बाद भी विशेषण आता है। जैसे -
  - ✓ सोहन नटखट है। (संज्ञा के बाद विशेषण)
  - ✓ वह बदमाश कहाँ गया ? (सर्वनाम के बाद विशेषण)

24 CHAPTER

Article

- The words "a" , "an" and "the" are called articles. They come before nouns.

Example

(a) This is **<u>a</u>** chair. (b) Sita sang **<u>a</u>** song. (c) This is **<u>an</u>** umbrella.

Kind of Article

Indefinite Article	Definite Article
"A/An" is used before an **indefinite singular noun**.	**"The"** is used before a noun when it is **definite or specific**.
"An" is used when the first sound of the word is a **vowel sound**.	The is called the definite article, because it normally points out some particular person or thing.
"A" is used when the first sound of the word is a **consonant sound**.	

Use of Article "a" and "an"

Rule 1: Based on Pronunciation

- If the first sound of a word is a **consonant sound**, **"a"** is used.
- If the first sound of a word is a **vowel sound**, **"an"** is used.
- "An" is also used before words that may not begin with a vowel letter but have a **vowel sound**.
- "A" is used before words that may begin with a vowel letter but have a **consonant sound** (like "y" or "w" sounds).

Example

a boy, a girl, a university (यूनिवर्सिटी → **y** sound), a one-rupee coin (वन → **w** sound), an orange, an umbrella, an hour, an MLA, an MBA, a European

a. In **an** hour's time I will be back but now I have to go.
b. Akbar became **an** heir to the throne at a young age of thirteen.
c. **An** interesting book 'A tale of two cities' waws written by alexander Dumas.

Rule 2: "A/An" is used before a **singular countable noun.**

Example

a. **A** dog is a loyal companion, always ready to offer friendship and protection.
b. **An** orange is full of vitamin C, making it a healthy snack.

Rule 3:

1. If a singular countable noun is preceded by an adjective or adverb, a/an is used before it.

✓ **Structure:** a/an + adjective/adverb + Singular Countable Noun

Example

a. He has come out with **a** unique **proposal** for his friends.
b. The loss of jobs is regarded by some as **a** necessary **evil** in the fight against inflation.

2. If "so" is used before an adjective/adverb, a/an comes after it.

✓ **Structure:** So + adjective/adverb + a/an + Singular countable noun

Example

a. She is so beautiful **a** girl to entertain you.
b. He is so intelligent **a** boy.

3. If "very" is used, a/an comes before "very."

✓ **Structure:** a/an + Very + Adjective/Adverb + Singular Countable Noun

Example

a. She lives in **a very beautiful house**.
b. I met **a very old man**.
c. He is **a very tall boy**.

Rule 4: "A/An" can be used in place of each / every / per in certain expressions.

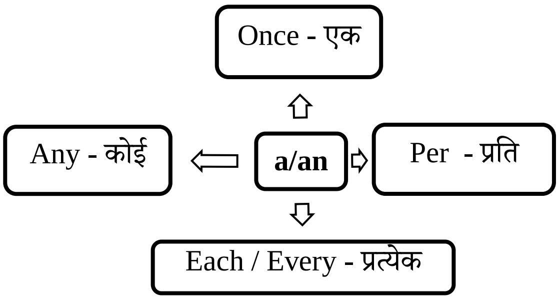

Example

a. I have bought apples at 20 rupees **a** (Per) Kg
b. **A** (Every) student can sole this Questions.
c. I have not solved **a** (any) question in this book.
d. Everyone knows that **the** leopard is faster than any other animal.

Rule 5: When a singular countable noun represents an entire class or species, "a/an" is used.

Example

a. An elephant is a huge animal.
b. A dog is a loyal animal in the earth.

Rule 6: When a verb is used as a noun (gerund/phrase), "a/an" is used before it in certain expressions.

Example

a. I go for **a walk** every morning.
b. He went for **a run** in the park.
c. Take **a look** at this picture.

> **Note: If the verb acts as a subject (general activity), no article is used.**
> a. Swimming is beneficial for health. (Swimming = subject (**general activity)**
> b. **Reading** improves knowledge.
> c. **Walking** keeps us fit.

Rule 7: "A/An" is used before units used for counting nouns.

➢ **Unit:** Million/Billion/Hundred/ Thousand/ Dozen
➢ **Structure:** a/an + unit + plural noun

Example

a. I have bought **a** Dozen Apples.
b. I am giving you **a** hundred rupees to buy some dress.
c. I have bought **a** dozen apples.
d. There are **a** thousand students in the school.

> **Note:** If the unit is in plural form, "a/an" is not used.

Rule 8: When **many / rather / such / quite** are used before a singular countable noun, "a/an" is used as follows:

➢ **Structure:** Many/rather/Such/Quite + a/an + Singular countable noun

Example

a. Many **a student** failed in the exam.
b. It is rather **a difficult problem**.
c. This is such **a beautiful place**.

Rule 9: "A/An" is used before a profession (when the noun is singular and countable).

➢ **Structure:** Subject + is/am/are + a/an + profession

Example

a. He is **a teacher**.
b. She is **a police officer**.
c. She is **an artist**.

Use of "The" Article

Use of "The"	Category	Examples / Explanation
Geographical Region	Regions of the world	The Middle East, The Arctic
	Range / Mountain Series	The Himalayas, The Alps
	Sea / Ocean	The Arabian Sea, The Indian Ocean
	Desert / Plateau / Island	The Sahara Desert, The Deccan Plateau
	River / Bay / Lake / Gulf / Canal / Delta	The Ganga, The Bay of Bengal, The Suez Canal, The Nile Delta
	Planet / Group of Countries	The Earth, The United States
Normal Use	Body Parts	hit on the head, pain in the leg
	Musical Instruments	play the guitar, play the piano
	English Newspaper Names	The Times of India, The Hindu
	Committee / Organisation	The United Nations, The Red Cross
	Ordinals	the first, the second, the third

Historical	Dynasty	The Maurya Dynasty, The Gupta Dynasty
	Books	The Ramayana, The Mahabharata
	Battles / Events	The Battle of Panipat, The French Revolution
	Empire	The Mughal Empire
	Caste	The Kshatriyas, The Brahmins
Historical and Public Buildings	Famous buildings	The Taj Mahal, The Red Fort
Historical and Religious Books	Sacred texts	The Vedas, The Quran, The Bible
Sculpture	Statues	The Statue of Liberty
National Party	Political parties	The Indian National Congress
National and International Awards	Awards and honors	The Bharat Ratna, The Nobel Prize

Example

a. The Himalaya Range
b. The Vindhyan Chal Range
c. The Atlantic
d. The Pacific
e. The Sahara Desert
f. The Ganga
g. The Bay of Bengal
h. The Deccan Plateau
i. The Earth
j. The Caspian Sagar Lake
k. The neck
l. The Mouth
m. The World trade Organization
n. The Raghuram Rajan Committee
o. The Nav Bharat Times
p. The Hindu
q. The First,
r. The Last
s. The Mourya
t. The Aaine Akbari
u. The battles of Panipat
v. The Mughal empire
w. The Ramayan
x. The White House
y. The Redfort
z. The Sudra
aa. The BJP
bb. The Bharat Ratna

Rule 1: If a musical instrument is used as a singular countable noun, "a/an" is used.

Example

a. I have bought <u>**a**</u> Piano (SCN).
b. She purchased **a violin**.
c. I saw **a flute** in the shop.

Rule 2: "The" is used with inventions.

Example

a. **The telephone** is a useful invention.
b. **The internet** connects the world.
c. **The light bulb** was invented by Edison.

> **Note: If an invention is used as a singular countable noun, "a/an" is used.**
> **Example**
> **a.** I bought **a computer**.
> **b.** She purchased **a telephone**.
> **c.** He has **a mobile phone**.

Rule 3: Place Related Noun

1. **If the name of a place (country/state /tehsil/village) is given, no article is used.**
   Example
   a. India is big country.
   b. He lives in Rajasthan.
2. **Group of Countries:** If a country name includes words like **United/Union/ Kingdom / Republic,** "the" is used.
   Example
   a. He lives in <u>the</u> **United States**.
   b. She went to <u>the</u> **United Kingdom**.
   c. <u>**The**</u> **Republic of Korea** is a developed nation.
3. **If a place is made specific, "the" is used.**
   Example
   a. The station is near my house.
   b. The City of Joy.
   c. Patna is the Newyork of India.
4. **If a place name is used with another place or person's name, generally no article is used.**
   Example
   a. Delhi University
   b. the Gandhi Park
5. **Primary vs Secondary Use of Place**
   i. When used for its **primary purpose**, no article is used.
   ii. When used for a **secondary purpose**, "the" is used.
   Example
   a. I go to school daily for study. (Primary Work)
   b. I went to **the school** to meet the teacher. (Secondary Work)
   c. He went to **the hospital** to see his uncle. (Secondary Work)

Rule 4: "The" is used with community or nationality.

Example

a. The Indian
b. The Punjabi
c. The Gujrati
d. The first European sailor to come in India in modern time was Vasco-di- Gama.

Note: If nationality is used as a **singular countable noun**, "a/an" is used.

➢ **Structure:** a/an + nationality + singular noun

Example

a. He is **an** Indian.
b. She is **a** British girl.
c. He is **a** Gujarati trader.

Rule 5: Language / Subject Related Noun

1. **No article is used with names of languages or subjects.**

Example

a. English
b. Maths

2. **If the word "language" or "Translate" is used in conjunction with a specific language, the article "the" is used.**

➢ **Structure**: the + language name + language/translation

Example

a. **The** Hindi language is very sweet.
b. Translate this into **the** French language.
c. **The** translation of the Sanskrit language is difficult.

3. **If a subject is made specific (noun + of noun), "the" is used.**

Example

a. **The** history of India is very interesting.
b. **The** chemistry of this reaction is complex.
c. **The** geography of Rajasthan is unique.

Special Rule of Article

Rule 1: Name Related

1. **No article is used with a person's name.**
2. **If Mr./Mrs./Miss + surname is used (referring to an unknown person), a/an is used before it.**

➢ **Structure**: a/an + Mr./Mrs./Miss + Surname

Example

a. **A** Mr. Sharma wants to meet you.
b. I met **a** Miss Roy yesterday.

3. **If a proper noun is used as a proper adjective (to show comparison/ quality), "a/an" is used.**

Example

a) He is **a** Gandhi of our village.
b) She is **a** Lata Mangeshkar in singing.

4. **If such a comparison is made superlative (unique/ideal), "the" is used.**

Example

a. He is **the** Gandhi of our town.
b. She is **the** Lata Mangeshkar of our school.
c. Ahmedabad is trying to become **the** next Manchester of India.

Rule 2: Name of Meal

1. **No article is used with breakfast, lunch, dinner, brunch.**

Example

a. I had lunch.
b. She eats breakfast at 8.

2. **If an adjective is used before them, a/an is used.**

➢ **Structure:** a/an + Adjective + Brunch/Lunch/Breakfast/Dinner

Example

a. I have taken **a** good lunch.

3. **If "Brunch/Lunch/Breakfast/Dinner" is specified, then "The" is used.**

Example

a. I have taken **the** lunch today.
b. **The** lunch which I have taken today is super.

Rule 3: "By" with Transport / Units

✓ When **"by"** is used before a **means of transport**, no article is used.

✓ When **"by"** is used with a **unit of measurement**, "the" is used.

Example

a. I am going to Delhi by air.
b. You have sold apple by the kilo.

Rule 4: No article is used before material nouns, names of sports, and diseases (in general).

1. **If a material noun is made specific, the article "The" is used.**

Example

a. **The** ring made of the gold of America.

2. **If the Name of Sports (Games) is made specific, the article "The" is used.**

Example

a. **The** cricket of India is very good at present time.
b. I am playing cricket.

3. **Some diseases like mumps, measles, plague do not take an article generally, but "the" may be used in a specific context.**

Example

a. Mumps is a contagious disease.
b. **The** measles outbreak was severe last year.

Rule 5: Blood relation – No article is used with words like **father, mother, uncle, aunt,** etc.

1. **If "father," "mother," "sister," or "brother" is used as a title, "the" is used.**

➢ The father – Principal (Head)
➢ The mother – Orphanage head
➢ The sister – Head of nurse
➢ The brother – head of criminal society.

Example

a. **The** mother of the child was very worried about his health.

2. **If the blood relation is specified, the article "The" is used.**

Example

a. **The** brother of Suresh is a nice person ever I met.

Rule 6: Festival / Day / Month / Year / Week : No article is used with these in general.

1. **No article is used with these in general. (The + Festival name + festival)**
   Example
   a. I am celebrating Diwali.
   b. I am celebrating **the** Diwali festival.
2. **If the date, month, year, or week is specified, the article "the" is used.**
   Example
   a. **The** date of the meeting is confirmed as 25th March.
   b. **The** year 2020 was marked by the pandemic.

Rule 7: "The" is always used with the superlative degree. (The + superlative degree)

Example
a. **The** best student in the class received an award.
b. **The** largest chunk of the bulk drug requirement is met through cheap imports from China.
c. It is **the** most beautiful flower in the nursery.

1. **If "of the two" is used in sentence. → the + comparative degree**
   Example
   a. Seeta is **the** more beautiful girl of the two sisters.
   b. Of the two sisters, she is **the** better.
2. **If "of the two" is used → the + comparative degree**
   Example
   a. You will go the higher, you will feel the colder.

Rule 8: "A" may be used with university in general reference.

1. **If the name of a person or place accompanies the word "University," no article is used.**
   Example
   a. Dr. Hari Singh gaur university
   b. The Delhi university
2. **The article 'The' is used with certain foreign universities.**
   Example
   a. The oxford university,
   b. The Howard university

Rule 9: If two qualities are expressed about the same person using "and," no article is repeated.

Example
a. Kalidas was **a** poet and dramatist.

Rule 10: If the word 'Home' is used in a sentence, no article is required; however, an article is used with 'House'.

Example
a. He arrived home after dark.

Toppersnotes
Unleash the topper in you